न्यायालय – जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1766/2021

CNR–UPFD01003837–2021

वीरेन्द्र कुमार, उम्र करीब 60 साल, पुत्र ध्यान पाल सिंह, निवासी नगला गोला, राजा का ताल, अली नगर कैंजरा, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य .....विपक्षी।

प्रार्थी/अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मुकदमा अपराध संख्या–145/2021, अन्तर्गत धारा–420, 467, 468, 471 भा०दं०सं० एवं धारा–60/63 आबकारी अधिनियम, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 24–03–2021 को वादी मुकदमा उप निरीक्षक तेजवीर सिंह, आबकारी निरीक्षक रामवीर सिंह व अन्य हमराही महिला व पुरूष पुलिस कर्मचारीगण ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम नगला गोला में वीरेन्द्र की परचूनी की दुकान के पीछे मकान से एक महिला को समय करीब 8:30 बजे पकड़ लिया तथा दो व्यक्ति पुलिस को देखकर पिछले गेट से भाग गये, जिनका पुलिस कर्मचारीगण ने पीछा किया, परन्तु वे भागने में सफल रहे। पकड़ी गयी महिला का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम जूली बताया, जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ से 20 क्यू,आर कोड व जमीन से 52 क्यू.आर. कोड बरामद हुए। मौके से देशी शराब के 344 पाउच व राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 106 पाउच बरामद हुए, जिन पर रॉयल क्लासिक विस्की फॉर सेल इन राजस्थान ओन्ली अंकित है, जिन पर लगे ढक्कन व रैपर भी नकली बताये। गिरफ्तार महिला ने भागे हुए व्यक्तियों के नाम वीरेन्द्र व अनुराग लाल बताया। बरामद माल को मौके पर सील मुहर कर फर्द मौके पर लिखी गयी, नमूना मुहर तैयार किया तथा बरामद माल व अभियुक्ता को थाने लाकर यह अभियोग पंजीकृत कराया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क देते हुए यह कथन किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई भी वस्तु बरामद होना नहीं दिखाया गया है, बल्कि उसे मौके से भागा हुआ दिखाया है। उसका इस घटना से कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई कृत्य करना नहीं बताया गया है, बल्कि उसे शक के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा सह–अभियुक्ता जूली की जमानत न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अतः न्यायहित में प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान

मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से वर्चुअली सुना तथा केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं है, न उसके कब्जे से कोई बरामदगी है। प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र के कथनानुसार सह–अभियुक्ता जूली की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त कई दिनों से जिला कारागार में निरूद्ध है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास हो, ऐसा कोई कथन/साक्ष्य अभियोजन की तरफ से पेश नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर बिना कोई टिप्पणी किये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 145/2021, अन्तर्गत धारा–420, 467, 468, 471 भा०दं०सं० एवं धारा–60/63 आबकारी अधिनियम, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पचास–पचास (50,000–50,000) हजार रूपये के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि अनुसार प्रस्तुत करने पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

दिनांक 21–06–2021

(अनुराग शर्मा)
प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
फिरोजाबाद।